

कार्यालय उप वन संरक्षक, झुंझुनू

क्रमांक :-एफ()उवसंझुं/सर्वे/2021-22/ 3942
अधिशाषी अभियन्ता,
जल संसाधन संभाग,
सीकर।

दिनांक :-06-05-22

विषय:-Diversion of 1.8498 ha of Protected and Un-Class forest land for construction of Mansa mata Anicut near Village- kho Gram panchayat Manaksas Tehsil Udaipurwati Disstrict- Jhunjhunu in favour of Executive Engineer, Water Resource Department, Division- sikar in the State of Rajasthan.

संदर्भ:-उप महा निरीक्षक / क्षेत्रीय अधिकारी का पत्रांक File No. 8B/RAJ001/2022-JPR दिनांक 11.02.20202 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में आक्षेप प्राप्त हुए है। बिन्दु संख्या 1 व 2 की पूर्ति कर पालना रिपोर्ट भिजवाये, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राजेन्द्र कुमार हुड्डा)
उप वन संरक्षक
झुंझुनू



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE
CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर / Integrated Regional Office,
Jaipur



ए 218 & बी 216 "अरण्य भवन", झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर - 302004 / A-218 & B-216, "ARANYA
BHAWAN", Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004
दूरभाष/Tel No: 0141-2713858, 2713786 Email: iro.jaipur-mefcc@gov.in

File No. 8B/RAJ001/2022-JPR

Dated: 11th February, 2022

सेवार्थ,
शासन सचिव (वन)
सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन
जयपुर, राजस्थान

(ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/RJ/IRRIG/47910/2020)

विषय: Diversion of 1.8498 ha of Protected and Un-Class forest land for construction of Mansa mata Anicut near Village- Kho Gram Panchayat Manaksas Tehsil Udaipurwati, District Jhunjhunu in favour of Executive Engineer, Water Resource Department, Division- Sikar in the State of Rajasthan.

सन्दर्भ: शासन सचिव (वन), राजस्थान का पत्र क्रमांक प.1 (106) वन/2021 दिनांक 18.01.2022. महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार की वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रस्ताव के परिष्करणोपरांत यह पाया गया कि राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण जानकारी/ दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये हैं। अतः राज्य शासन से अनुरोध है कि निम्नलिखित आवश्यक जानकारी इस कार्यालय को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराये:

1. The KML file of proposed diversion area is found incorrect or incomprehensible. Thus, revised KML file of proposed diversion area shall be uploaded on the web portal.
2. Alternatives alignment along with detailed comparative statement shall be submitted.
3. As per DSS analysis, dense tree cover is visible in the proposed CA area, this shall be clarified or revised area shall be submitted.
4. Proposed area is a part of Mansa Mata Conservation Reserve. In this regard, comments of Chief Wildlife Warden shall be submitted.

उपरोक्त जानकारी को ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज सहित अपलोड करायें ताकि अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

(श्रवण कुमार वर्मा)

उप महानिरीक्षक / क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: (ई-मेल द्वारा)

1. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान
2. उप वन संरक्षक, झुंझुनू, राजस्थान
3. अधिशासी अभियंता, जल संसाधन संभाग, सीकर, राजस्थान
4. आदेश पत्रावली।

FCA

6/5/22

भारतीय.

11/02/2022